

23 24

पीठासीन अधिकारी को पेश हो।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-10-24 को पेश हो।

15/10/24

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार कड़-कड़ कर आवाज लगायी गई। लेकिन कोई भी उपास्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना, अदम हाजरी, अदम पैरवी में अन्तर्गत आदेश व नियम 8 CPC श्यारिज किया जाता है। पत्रावली फेंसल श्रुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमिल दाखिल दफतर है।



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
पिठावा, दि. 15/10/24

